

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

प्रतिलिपि:— तहसीलदार, हमीरगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी

हमीरगढ़

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

गापत्री (A) 02 वेवु गत्य बनाम मंगर सिंह पिता इवरा सिंह  
धारा 111-128 बन्द / प्रा0प0 / अपील प्र0सं0 71/17

14/11/17

बाद जाँच बन्द / प्रा0प0 / अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणो / अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना बुलबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 20/12/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ

20/12/17

पत्रावली पेश उभयपक्ष  
उपस्थित पीठासीन अधिकार जी  
राज कापस 04-1-17 पत्रावली  
दिनांक 14.2.18 को पेश हो।

श.ज  
आदेश से रीडर

14.2.18

पत्रावली पेश उभयपक्ष  
उपस्थित पीठासीन अधिकार जी  
राज कापस 04-1-17 पत्रावली  
दिनांक 11.4.18 को पेश हो।

श.ज  
आदेश से रीडर

11.4.18

पत्रावली पेश उभयपक्ष  
उपस्थित पीठासीन अधिकार जी  
राज कापस 04-1-17 पत्रावली  
दिनांक 8.8.18 को पेश हो।

श.ज  
आदेश से रीडर

29.5.18

पत्रावली वास्ते उभयपक्ष इवरा सिंह पर पेश / पत्रावली उभयपक्ष से लिखवा जावा शामिल पत्रावली विपक्षीगणो पत्रावली पत्राल सुमाइ होकर नमूने से काम हो।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
हमीरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला-भीलवाडा

अधिकारी:-रामावतार मीणा (आर०ए०एस०)

वे.प्र.को.दे.रा.का.द

संख्या: 71/17

इतिमती गा.प.रा. 17/0 देवेन्दु नाथ पारीव, जि. भीलवाडा

---प्रार्थीगण

- बनाम
- 1- भूवर सिंह पुत्र ईश्वर सिंह राजपूत सि. किलिया कला
  - 2- देवराज सिंह पुत्र ईश्वर सिंह राजपूत
  - 3- रामेन्दु सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत
  - 4- रविन्दु सिंह पुत्र
  - 5- भूवर देवराज पुत्र
  - 6- इतिमती गा.प.रा. देवराज
- विपक्षीगण
- P.T

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-.....

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम किलिया कला पटवार हल्का किलिया कला तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1758/58, 60 कुल किता 2 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 14.11.17 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंधदान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम किलिया कला पटवार ह० किलिया कला तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 60, 1759/58 कुल किता 2 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक देवराज को 700/-रु० (अक्षरे- सात सौ रुपया मात्र)

.....)

कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ़

प्रतिलिपि:- तहसीलदार, हमीरगढ़ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ़